

आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर (आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा), सीकर

क्रमांक: 1101

२६९०

दिनांक: 15/06/2022

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/ORELU/SIK/0004585

१५.७.२२

प्रशासनिक स्वीकृति

हसीलदार की अभिशंभा सहित प्राप्त निम्न आकाशीय बिजली के प्रकरणों में आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर की पालना में एवं भारत सरकार के गृह विभाग के आपदा प्रबंधन अनुभाग के पत्रांक 32-7/2014 NDM-1 दिनांक 08.04.2015 अवधि 2015-2020 में राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के अंतर्गत दिए गए प्रावधान अनुसार आकाशीय बिजलीसे पीड़ितों को उनके नाम के सम्मुख अंकित राशि के अनुसार आर्थिक सहायता के रूप में भुगतान करने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	आवेदन संख्या	पीड़ित का विवरण	आपदा का क्षेत्र	आपदा की दिनांक	क्षति का प्रकार	क्षति का विवरण	देय सहायता राशि
1	AR/SIKA/2 021/00580 7	नाम: Bhoma Ram Sainधिता का नाम: BHAGWANA RAM SAINधिता: सीकर	टाणी झुझार जी वाला सिरोही, टाणी झुझार जी वाला सिरोही, नीमकाथाना, पंचायत समिति नीमकाथाना, ग्राम पंचायत -सिरोही गाँव - सिरोही	23/03/2021	आकाशीय बिजली	भेस पाडा 3000 कपडा बिर तर 1800 झोपडा 3200	8000
योग							8000

स राशि का व्यय निम्न बजट मद से किया जायेगा :- 2245-01-800-(03)-1021-12

(आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा)
जिला कलेक्टर
सीकर



आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

2688
517/22

वित्तिय-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन सचिव आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर।
2. सभागोय आयुक्त.....
3. जिला कलेक्टर, सीकर।
1. उपखंड अधिकारी
3. तहसीलदार
3. जिलासूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, सीकर।
2. रोकडपाल (सहायता शाखा) कार्यालय हाजा

प्रभारी अधिकारी
(आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा)
सीकर